

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेंड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कार्यकारी कुलसचिव Kadar Nawaz Khan Acting Registrar दूरभाष/Phone: +91-7152-230902 फैक्स ∕ Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-03/2020

दिनांक : 13.01.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्युलेशन 2018 में बिंदु क्रमांक 17.0 पर व्यावसायिक आचार संहिता (Code of Professional Ethics) के नाम से उपलब्ध आचार संहिता (Code of Ethics) को कार्य—परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में स्वीकृत किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर निवास (कुलसचिव) 13/01/2000

प्रति :

सभी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, केंद्र प्रभारी, कार्यालय प्रमुख (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि :

- 1. कुलपति कार्यालय
- 2. प्रतिकुलपति कार्यालय
- 3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
- 4. संबंधित पत्रावली



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] No. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय— समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः —

लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
- 3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

4097 GI/2018 (1)

पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण— ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए :

सहायक आचार्य

16 घंटे प्रति सप्ताह

सह– आचार्य और आचार्य

14 घंटे प्रति सप्ताह

15.2 ऐसे आचार्य, जो विस्तार तथा प्रशासनिक कार्यों में शामिल हैं, तथा ऐसे सह –आचार्य और सहायक आचार्य जो सक्रिय रूप से प्रशासन कार्य में जुटे हुए हों उन्हें प्रति सप्ताह कार्यों के लिए शिक्षण और ज्ञान अर्जन में दो घंटे की छूट प्रदान की जा सकती है।

16.0 सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना

16.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय / महाविद्यालय और संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार / प्राचार्य के पास जमा की जाएगी। उक्त सेवा करार पर सरकारी प्रयोजनों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।

16.2 खंड 6.0 और इसके उपखंडों और उपखंड 6.1 से 6.4 और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट — II की तालिका 1 से 5 के अनुसार स्व— मूल्यांकन प्रविधियां, पात्रता के अनुसार, सेवा करार/ रिकॉर्ड का भाग होंगी।

16.3 सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर विष्ठता का निर्धारण कार्यभार संभालने की तिथि से किया जाएगा और सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नत किए गए शिक्षकों हेतु पात्रता की तिथि से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित भर्तियों की चयन सिमित की सिफारिशों में दर्शाया गया है। विष्ठता के अन्य सभी मामलों के लिए संबंधित केंद्र / राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

17.0 व्यावसायिक आचार संहिता

I. शिक्षक और उनके दायित्व :

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को :

- (i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;
- (ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;
- (iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए:
- (iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए:
- (v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;
- (vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए:
- (vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;
- (viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृ तिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए:
- (ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे किः प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और
- (x) सामुदायिक सेवा सहित सह- पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

II. शिक्षक और छात्र

शिक्षक को :

- (i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्टा का आदर करना चाहिए ;
- (ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए:
- (iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;
- (iv) छात्रों को उनकी उपलिब्धयों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;
- (v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;
- (vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;
- (vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;
- (viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए:
- (ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;
- (x) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

III. शिक्षक और सहयोगी शिक्षक

शिक्षक को :

- (i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे;
- (ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;
- (iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेब्नियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए;
- (iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

IV. शिक्षक और प्राधिकारी

शिक्षक को :

- (i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और / अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।
- (ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;
- (iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;
- (iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे;
- (v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;
- (vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे;
- (vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे;
- (viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी

शिक्षकों को चाहिए कि :

- (i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टॉफ को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझे;
- (ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टॉफ से संबंधित संयुक्त स्टॉफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

VI. शिक्षक और अभिभावक

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान— प्रदान और संस्था के लाभ हेत इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

VII. शिक्षक और समाज

शिक्षकों को चाहिए कि :

- (i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;
- (ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करे;
- (iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;
- (iv) नागरिक के कर्तव्यों का निवर्हन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;
- (v) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समुहों में नफरत और दृश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंत् राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक

कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक को चाहिए कि :

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादिमक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;
- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे
- (च) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि:

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादिमक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;
- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;

- (च) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (छ) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ज) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (झ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;
- (ञ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) / पुस्तकाध्यक्ष (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) को चाहिए कि वहः

- (क) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (ख) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ग) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (घ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठचेत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;
- (ङ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 57

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2018

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2018

No. F.1-2/2017(EC/PS).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section(I) of Section 26 read with Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the "UGC Regulations on Minimum qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010" (Regulation No.F.3-1/2009 dated 30th June, 2010) together with all amendments made therein from time to time, the University Grants Commission, hereby, frames the following Regulations, namely:-

1. Short title, application and commencement:

- 1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.
- 1.2 These shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a Constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under Clause (i) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every Institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act.
- 1.3 These shall come into force from the date of notification.
- 2. The Minimum Qualifications for appointment and other service conditions of University and College teachers, Librarians, and Directors of Physical Education and Sports as a measure for the maintenance of standards in higher education, shall be as provided in the Annexure to these Regulations.
- 3. If any University contravenes the provisions of these Regulations, the Commission after taking into consideration the cause, if any, shown by the University for such failure or contravention, may withhold from the University, the grants proposed to be made out of the Fund of the Commission.

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND OTHER MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2018

Minimum qualifications for the posts of Senior Professor, Professors and Teachers, and other Academic Staff in Universities and Colleges and revision of pay scales and other Service Conditions pertaining to such posts.

1.0 Coverage

These Regulations are issued for minimum qualifications for appointment and other service conditions of University and College teachers and cadres of Librarians, Directors of Physical Education and Sports for maintenance of standards in higher education and revision of pay-scales.

- 1.1 For the purposes of direct recruitment to teaching posts in disciplines relating to university and collegiate education, interalia in the fields of health, medicine, special education, agriculture, veterinary and allied fields, technical education, teacher education, norms or standards laid down by authorities established by the relevant Act of Parliament under article 246 of the Constitution for the purpose of co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, shall prevail
 - Provided that where no such norms and standards have been laid down by any regulatory authority, UGC Regulations herein shall be applicable till such time as any norms or standards are prescribed by the appropriate regulatory authority.
 - ii. Provided further that for appointment to the post of Assistant Professor and equivalent positions pertaining to disciplines in which the National Eligibility Test (NET), conducted by the University Grants Commission or Council of Scientific and Industrial Research as the case may be, or State level

16.2. The self-appraisal methodology, as per Clause 6.0 and its sub-clauses and Clauses 6.1 to 6.4 and all the sub-clauses contained therein and as per Tables 1 to 5 of Appendix II, as per eligibility, shall form part of the service agreement/record.

16.3 Inter-se seniority between the direct recruited and teachers promoted under CAS

The inter-se seniority of a direct recruit shall be determined with reference to the date of joining and for the teachers promoted under the CAS with reference to the date of eligibility as indicated in the recommendations of the selection committee of the respective candidates. The rules and regulations of the respective Central/State Government shall apply, for all other matters of seniority.

17.0 Code of Professional Ethics

I. Teachers and their Responsibilities:

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself / herself in accordance with the ideal of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her own ideals. The profession further requires that the teacher should be calm, patient and communicative by temperament and amiable in disposition.

Teacher should:

- (i) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;
- (ii) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
- (iii) Seek to make professional growth continuous through study and research;
- (iv) Express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, conferences etc., towards the contribution of knowledge;
- (v) Maintain active membership of professional organisations and strive to improve education and profession through them;
- (vi) Perform their duties in the form of teaching, tutorials, practicals, seminars and research work, conscientiously and with dedication;
- (vii) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and research;
- (viii) Abide by the Act, Statute and Ordinance of the University and to respect its ideals, vision, mission, cultural practices and tradition;
- (ix) Co-operate and assist in carrying out the functions relating to the educational responsibilities of the college and the university, such as: assisting in appraising applications for admission, advising and counselling students as well as assisting the conduct of university and college examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and
- (x) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.

II. Teachers and Students

Teachers should:

- (i) Respect the rights and dignity of the student in expressing his/her opinion;
- (ii) Deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, gender, political, economic, social and physical characteristics;
- (iii) Recognise the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs;
- (iv) Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare;
- (v) Inculcate among students scientific temper, spirit of inquiry and ideals of democracy, patriotism, social justice, environmental protection and peace;
- (vi) Treat the students with dignity and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason;

- (vii) Pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit;
- (viii) Make themselves available to the students even beyond their class hours and help and guide students without any remuneration or reward;
- (ix) Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals; and
- (x) Refrain from inciting students against other students, colleagues or administration.

III. Teachers and Colleagues

Teachers should:

- (i) Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated;
- (ii) Speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment;
- (iii) Refrain from making unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities; and
- (iv) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavour.

IV. Teachers and Authorities:

Teachers should:

- (i) Discharge their professional responsibilities according to the existing rules and adhere to procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and / or professional organisations for change of any such rule detrimental to the professional interest;
- (ii) Refrain from undertaking any other employment and commitment, including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities;
- (iii) Co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting various offices and discharge responsibilities which such offices may demand;
- (iv) Co-operate through their organisations in the formulation of policies of the other institutions and accept offices;
- (v) Co-operate with the authorities for the betterment of the institutions keeping in view the interest and in conformity with the dignity of the profession;
- (vi) Adhere to the terms of contract;
- (vii) Give and expect due notice before a change of position takes place; and
- (viii) Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of academic schedule.

V. Teachers and Non-Teaching Staff:

Teachers should:

- (i) Treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, within every educational institution;
- (ii) Help in the functioning of joint-staff councils covering both the teachers and the non-teaching staff.

VI. Teachers and Guardians

Teachers should:

(i) Try to see through teachers' bodies and organisations, that institutions maintain contact with the guardians, their students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and for the benefit of the institution.

VII. Teachers and Society

Teachers should:

(i) Recognise that education is a public service and strive to keep the public informed of the educational programmes which are being provided;

- (ii) Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life;
- (iii) Be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the progress of society and hence the country as a whole;
- (iv) Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices;
- (v) Refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities, which tend to promote feeling of hatred or enmity among different communities, religions or linguistic groups but actively work for national integration.

The Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Rector

The Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Rector should:

- (a) Provide inspirational and motivational value-based academic and executive leadership to the university through policy formation, operational management, optimization of human resources and concern for environment and sustainability;
- (b) Conduct himself/herself with transparency, fairness, honesty, highest degree of ethics and decision making that is in the best interest of the university;
- (c) Act as steward of the university's assets in managing the resources responsibility, optimally, effectively and efficiently for providing a conducive working and learning environment;
- (d) Promote the collaborative, shared and consultative work culture in the university, paving way for innovative thinking and ideas;
- (e) Endeavour to promote a work culture and ethics that brings about quality, professionalism, satisfaction and service to the nation and society.
- (f) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

College Principal should;

- (a) Provide inspirational and motivational value-based academic and executive leadership to the college through policy formation, operational management, optimization of human resources and concern for environment and sustainability;
- (b) Conduct himself/herself with transparency, fairness, honesty, highest degree of ethics and decision making that is in the best interest of the college;
- (c) Act as steward of the College's assets in managing the resources responsibility, optimally, effectively and efficiently for providing a conducive working and learning environment;
- (d) Promote the collaborative, shared and consultative work culture in the college, paving way for innovative thinking and ideas;
- (e) Endeavour to promote a work culture and ethics that brings about quality, professionalism, satisfaction and service to the nation and society.
- (f) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;
- (g) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
- (h) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and research;
- (i) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.
- (j) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

Director Physical Education and Sports (University/College)/Librarian (University/College) should;

- (a) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;
- (b) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
- (C) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and research;
- (**Q**) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.

भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण (c) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.